उपस्थित नहीं होने के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई अतः इलतवा होकर पत्रावली दि० 20/6/22 को पेश हो

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

20/6/22 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इलतवा होकर पत्रावली आइन्दा 28/6/22 को पेश हो ।

28/6/22 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इलतवा होकर पत्रावली आइन्दा 5/7/22 को पेश हो ।

5/7/22 पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित वकील विपक्षी ने 1 से 5 [illegible] हेतु [illegible] की मांग चाहते हैं [illegible] पत्रावली दि० 12/7/22 को पेश हो

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

12/7/22 पत्रावली आज पेश हुई विपक्षीगण का जवाब अप्राप्त। जवाब का [illegible] दिया जाता है [illegible] हुई अभी [illegible] के लिए [illegible] स्कूल न्यायालय बुलाया गया [illegible] की जानकारी नहीं जारी है [illegible] होने पर [illegible] पत्रावली [illegible] हो

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 33/2022

प्रार्थीगण :-

1. [illegible] पुत्र [illegible]
   जाति मेगवाल निवासी सांवलासर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. आम्बाराम पुत्र हुकमाराम
2. दीपाराम पुत्र आम्बाराम
3. मगाजीराम पुत्र आम्बाराम
4. प्रभुराम पुत्र आम्बाराम
5. हेमाराम पुत्र मोतीराम जाति मेगवाल निवासी सांवलासर
6. ऐवन पत्नी गिरधारीपुरी
7. किसनपुरी पुत्र सूरजपुरी
8. तेजपुरी पुत्र सूरजपुरी
9. देवपुरी पुत्र सूरजपुरी
10. देवपुरी पुत्र सूरजपुरी
11. दिनेशपुरी पुत्र खुशालपुरी
12. मांगपुरी पुत्र सूरजपुरी
13. रतनपुरी पुत्र खुशालपुरी
14. रमेशपुरी पुत्र खुशालपुरी
15. श्रवणपुरी पुत्र गिरधारीपुरी
16. शान्तिदेवी पत्नी तेजपुरी
17. शीला पुत्री गिरधारीपुरी
18. सुआदेवी पत्नी सूरजपुरी जाति गिरी निवासी मालियों की ढाणी तह. गुडामालानी
19. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुडामालानी
20. तहसीलदार गुडामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956</u>

-: आदेश :-

दिनांक :- 12.07.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु [illegible] जरिये पत्थर गढ़ी का विप्रार्थीगण के विरु[illegible] प्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया [illegible] 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पूर्ण समय लिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश नहीं किये जाने से जबाव बन्द कियागया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:31 IST
Reason: SelfAttested

आधार सम्वत 2077–2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा धांधलावास के खेत खसरा नम्बर 148 रकबा 4.2816 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा धांधलावास के खेत खसरा नम्बर 148 रकबा 4.2816 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज [illegible] को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:31 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी